न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–70 सन् 2020

रूपन राय व अन्य............वादीगण

बनाम

बदन मियां व अन्य............प्रतिवादीगण

दिनांक– 13.12.2021

वादी की ओर से हाजिरी दी गई। आज अभिलेख वादी की ओर से स्थानीय अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त करने हेतु दाखिल आवेदन दिनांक 11.08.2021 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि इस वाद के तकरारी एराजी मद नं0 01 वो 02 अर्जीनालिश के वास्तविक स्वरूप को न्यायहित में न्यायालय के समक्ष लाया जाना आवश्यक है। अतः इस वाद के तकरारी भूमि की जांच कर उसके वास्तविक स्वरूप के संदर्भ में आवेदन में लिखित बिन्दुओं पर किसी अधिवक्ता आयुक्त को नियुक्त कर जांच प्रतिवेदन की मांग की जाए।

प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण हाजिर नहीं हुए हैं। प्रतिवादगण के विरूद्ध तामिला संपुष्ट कर अभिलेख एकपक्षीय कार्यवाई हेतु नियत है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत हकियत वाद वादीगण के द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध दाखिल कर तकरारी एराजी मद नं0 02

अर्जीनालिश जो मद नं0 01 में वर्णित संपत्ति खाता नं0 158, खेसरा नं0 2051 रकबा 7 कठा 5 धूर एवं खेसरा नं0 731 रकबा 9 कठा 9 धूर, खाता सं0 158, खेसरा सं0 1035 रकबा 3 कठा 18 धूर अंश है। वादीगण के द्वारा बैनामा दिनांक 30.09.2019 की खरीदगी एराजी है। जिसपर हकियत की घोषणा हेतु दाखिल किया गया है। वादीगण ने दिनांक 11.08.2021 को आदेश 39 नियम 1 वो 2 तथा धारा 151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत आवेदन दाखिल कर कहा है कि इस वाद की जानकारी प्रतिवादीगण को होने पर जल्दी–जल्दी तकरारी एराजी में निर्माण कर स्वरूप को परिवर्तन करना चाहते हैं। इसलिए तकरारी भूमि पर निर्माण सामग्री एकत्रित कर रहे हैं। जिस कारण उक्त स्थल पर तनाव उत्पन्न हो गया है। ऐसी परिस्थिति में वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन पोषणीय है। विवादित एराजी जो अर्जीनालिश में वर्णित है उसकी वर्तमान स्थिति न्यायालय के समक्ष लाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 11.08.2021 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता है कि वह अधिवक्ता आयुक्त शुल्क 2500/– रूपया नजारत में जमा करें।

वाद दिनांक 03.01.2022 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर सारण।